

Dr.Raman Kumar Thakur

Assistant professor (Guest)Department of Economics,
D.B.College, Jaynagar, Madhubani.

Class:-B.A.part-2(Hons.)Paper-4. Date:-19.08.2020.

Lecture n.-19.

Topic:- केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध(Financial Relations between Centres and States)

:- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 293 के मध्य में केंद्र एवं राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की गई है । वे कर जिनका अंतः राज्यीय आधार है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि स्थानीय आधार वाले कर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। अवशिष्ट अधिकार(Residual powers) केंद्र सरकार को प्राप्त है।

* केंद्रीय राजस्व का वितरण संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय स्रोतों का विभाजन किया गया है सातवीं अनुसूची की संघ सूची में उन करों का वर्णन है जो पूर्णतया केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं इन्हें संघीय कर (Union Taxes) कहते हैं। राज्य सूची में उन करों का वर्णन है जो पूर्णतया राज्यों के अधिकार में आते हैं इन्हें राज्य के कर (State Taxes) कहते हैं।

राज्य के राजस्व योगदान हेतु राज्य को एक वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित करता है। उपर्युक्त दो सूचियों के अतिरिक्त संविधान में एक तीसरी समवर्ती सूची भी है ,इसमें उन विषयों को शामिल नहीं किया गया है जिनका दोनों राज्य और संघ से संबंध है। किंतु विरोध की स्थिति में इस पर केंद्र का अधिकार हो जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों को चार भागों में विभाजित किया जाता है:-

1). वह कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं तथा जिन से प्राप्त आय पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की ही होती है।

2) वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं तथा एकत्रित किए जाते हैं किंतु जिन से प्राप्त आय का अंश राज्य सरकारों को बांट दिया जाता है।

3) वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं , किंतु राज्य सरकारों द्वारा एकत्र एवं प्रयुक्त किए जाते हैं।

4) वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए तथा एकत्र किए जाते हैं, किंतु उनसे प्राप्त समस्त आय राज्य सरकारों के मध्य बांट दी जाती है।